# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 143 / 2020

निर्णय दिनांकः– 12.02.2021

1. गिर्राज पुत्र छोगालाल जाति गुर्जर निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक – प्रार्थी

**बनाम**

1. रामपाल पुत्र बद्रीलाल जाति माली निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक
2. रतनी पुत्र बद्रीलाल जाति माली निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक
3. रामबिलास पुत्र रघुनाथ जाति कलाल निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
4. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
5. राधेश्याम पुत्र मोतीलाल जाति कलाल निवासी अलीगढ हाल पचाला जिला टोंक
6. रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल जाति कलाल निवासी अलीगढ हाल पचाला जिला टोंक
7. हरिशंकर पुत्र मोतीलाल जाति कलाल निवासी अलीगढ हाल पचाला जिला टोंक
8. गजानन्द पुत्र मोतीलाल जाति कलाल निवासी अलीगढ हाल पचाला जिला टोंक
9. दीनदयाल पुत्र मोतीलाल जाति कलाल निवासी अलीगढ हाल पचाला जिला टोंक
10. सत्यनारायण पुत्र मोतीलाल जाति कलाल निवासी अलीगढ हाल पचाला जिला टोंक
11. किशनगोपाल पुत्र रघुनाथ जाति कलाल निवासी अलीगढ
12. दाखा पत्नी रघुनाथ जाति कलाल निवासी अलीगढ
13. प्रेमबाई पुत्री रघुनाथ जाति कलाल निवासी अलीगढ हाल सवाई माधोपुर
14. रूकमणी पुत्री रघुनाथ जाति कलाल निवासी अलगढ हाल निवाई

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थितः– श्री इकबाल अहमद वकील प्रार्थी
श्री रामकिशन सैनी वकील अप्रार्थीगण न0 3

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 205 ख0न0 523 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी पर कदीमी रास्ते ख0न0 788 व 789 वाके ग्राम बामनिया मे मध्य स्थित मेर पर होकर अपने पूर्वजो के समय से आता जाता चला आ रहा है। तथा दिनांक 12.08.2020 को पटवारी हल्का व राजस्व टीम द्वारा मोके पर खातेदारान को समझाकर ख0न0 788 व 789 की मेड पर निशान लगाकर रास्ता बना दिया था। तथा इसी रास्ते मे होकर प्रार्थी अपने ट्रैक्टर ट्रोली व कृषि उपकरण उत्यादि लाते ले जाते रहे है।

प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि पर ट्रैक्टर लेकर हकाई जुताई करने जाने लगा तो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी को पूर्वजों के समय से निकल रहे रास्ते से आने–जाने नही दिया तथा, जिससे प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने के रास्ते को बन्द कर देने के कारण प्रार्थी का अपने खेत पर आना जाना ही बंद हो गया है।

S.Re.251a.127

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त आराजी पर आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी रास्ता नही है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 205 ख0न0 523 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा पर आने जाने के लिये कदीमी रास्ते ख0न0 788 व 789 की मेर पर होकर पूर्व की भांति 12 फीट चोडा रास्ता प्रार्थी को दिलवाये जाने की आदेश प्रदान करते हुए करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार डी.एल.सी. रेट के अनुसार राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण न0 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रामकिशन सैनी ने वकालतनामा एवं अन्य वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रारम्भिक आपत्तिया का प्रा0 पत्र पेश किया तथा प्रतिपक्षी न0 3 अपनी खातेदारी ख0न0 789 में से 6 फीट रास्ता देने हेतु राजीनामा पेश किया । पत्रावली में अन्य वारीसान को पक्षकार बनाया गया । जिनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ जिससे प्रतिपक्षी न0 1, 2 एवं 4 ता 14 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । उक्त प्रकरण में तहसीलदार उनियारा ने मौका रिपोर्ट तलब की गई मुताबिक मौका रिपोर्ट आराजी ख0न0 523 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बामनिया मे जाने के लिए रास्ता दर्ज रिकार्ड नही हैं। वादग्रस्त आराजी पर जाने हेतु ख0न0 788 व 789 की मध्य की मेड से ही सुलभ सहज व लघुतर रास्ता हैं तथा उपस्थित अप्रार्थीगण ने भी नियमानुसार रास्ता देने पर अपनी सहमति व्यक्त गई ।

प्रार्थी अधिवक्ता के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। । प्रार्थी वकील ने बहस में कथन किया कि ख0न0 523 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा पर आने जाने के लिये कदीमी रास्ते ख0न0 788 व 789 की मेर पर होकर पूर्व की भांति 12 फीट रास्ता प्रार्थी को दिलवाये जाने की आदेश प्रदान करें । तथा प्रतिपक्षी न0 3 भी अपने खातेदारी भूमि से 6 फिट रास्ते देने में सहमत है।

प्रार्थी अधिवक्ता बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व बहस का मनन किया गया। तहसीलदार उनियारा की मुताबिक मौका रिपोर्ट आराजी ख0न0 523 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बामनिया मे जाने के लिए रास्ता दर्ज रिकार्ड नही हैं। वादग्रस्त आराजी पर आने--जाने हेतु ख0न0 788 व 789 की मध्य की मेड से ही सुलभ सहज व लघुतर रास्ता हैं तथा उपस्थित अप्रार्थीगण ने भी नियमानुसार रास्ता देने पर अपनी सहमति व्यक्त गई, इसके अलावा ओर कोई सुलभी रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिये सुलभी रास्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 523 मे आने जाने के लिये आराजी ख0न0 788 व 789 की मध्य की मेड से 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 523 रकबा 0.32 वाके ग्राम बामनिया मे आने जाने के लिये गैर मु. रास्ता ख0न0 791 से आराजी ख0न0 788 व 789 की मध्य की मेड से 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौ गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिया जावे। उक्त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थी के लिये उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( रजनी मीणा )
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला टोंक
सत्यमेव जयते

S.Re.251a.128